**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 101**

**सोमवार, 17 जुलाई, 2017/26 आषाढ़, 1939 (शक)**

**राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर गति सीमा का पुनरीक्षण**

**101. श्री संजय सेठ:**

**क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों हेतु निर्धारित गति सीमा क्‍या है;

(ख) क्या सरकार राजमार्गों की गति सीमा को 100 किमी प्रति घंटा तक और नए एक्‍सेस कंट्रोल्‍ड एक्‍सप्रेस वे पर 120 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्‍या कारण हैं;

(घ) क्‍या मंत्रालय मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शीघ्र ही विशेषज्ञों की समिति का गठन करेगा;(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्‍या सड़कों पर सुरक्षा मानकों के कमजोर होने जिनके कारण दुनिया में सबसे ज्‍यादा सड़क दुर्घटनाओं में मुत्‍यु होती है, को ध्‍यान में रखते हुए गति सीमा बढ़ाना संभव है; और(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्‍या सुधारक उपाय किए गए हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क):** सरकार ने विभिन्‍न श्रेणी के मोटर वाहनों के संबंध में किलोमीटर प्रति घंटे में अधिकतम गति नियत करते हुए 5 अगस्‍त, 2014 को का. आ. 1997 (अ) अधिसूचित किया है, जिसका ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र. सं. | मोटर वाहनों की श्रेणी | किलोमीटर प्रति घंटे में अधिकतम गति |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| 1. | ड्राइवर की सीट के अतिरिक्‍त नौ या उससे अधिक सीटों पर बैठे यात्रियों के संवहन के लिए प्रयुक्‍त मोटर वाहन | 80 |
| 2. | ड्राइवर की सीट के अतिरिक्‍त अधिकतम आठ सीटों पर बैठे यात्रियों के संवहन के लिए प्रयुक्‍त मोटर वाहन | 100 |
| 3. | सामान के संवहन के लिए प्रयुक्‍त मोटर वाहन | 80 |
| 4. | चार-पहिया वाहन | 70 |
| 5. | तीन-पहिया वाहन | 60 |
| 6. | मोटर साइकल | 80 |

इस मंत्रालय ने दिनांक 15.04.2015 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 290 (अ) और दिनांक 01.05.2017 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 424 (अ) जारी किया है जिनमें कतिपय श्रेणी के परिवहन वाहनों में 80 किमी/घंटे की पूर्व-निर्धारित अधिकतम गति नियत करते हुए तथा डंपरों, टैंकरों, स्‍कूल बसों, जोखिमपूर्ण सामान को ले जाने वाले वाहनों जैसे परिवहन वाहनों में 60 किमी/घंटे की पूर्व-निर्धारित अधिकतम गति नियत करते हुए गति-नियंत्रक लगाने को अनिवार्य बनाया गया है ।

**(ख) से (छ):** विभिन्‍न श्रेणी के मोटर वाहनों की गति-सीमा की समीक्षा करने तथा सरकार को उपयुक्‍त सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है ।

\*\*\*\*\*